(56)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समक्षः डा0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1195–एक/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 03–04–2012 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, मल्हारगढ़ जिला मंदसौर प्रकरण कमांक 33/ए–61/2010–11.

———

1– शिवनारायण पिता गौतमजी लुहार
2– शंभूलाल पिता गौतमजी लुहार
दोनों वयस्क, दोनों का धंधा – खेती
दोनों निवासीगण पलेवना, तहसील मल्हारगढ़
जिला मंदसौर । ——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– भुवानीराम पिता कालूराम जी जाति गुर्जर
निवासी जग्गाखेडी
2– गंगाबाई बेवा शंकरलाल जी जाति लुहार
3– अम्बालाल पिता शंकरलालजी जाति लुहार
4– गोरधनलाल पिता शंकरलाल जी जाति लुहार
5– सहायता बाई बेवा गौतमलालजी जाति लुहार
सभी निवासीगण गांव पलेवना तहसील मल्हारगढ़
जिला मंदसौर । ——— अनावेदक

———

श्री के0के0 द्विवेदी अभिभाषक – आवेदकगण ।

———

:: आदेश ::

(दिनांक 28 मार्च 2016 को पारित)

यह निगरानी नायब तहसीलदार मल्हारगढ़ जिला मंदसौर द्वारा प्रकरण कमांक 33/ए–61/2010–11/अपील में पारित आदेश दिनांक 03–04–2012 के विरूद्ध म.प्र. भू– राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त में सारॉश यह है कि अनावेदक भुवानीराम ने नायब तहसीलदार मल्हारगढ़ के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था कि मौजा पलेवना स्थित भूमि सर्वे क0 230 रकवा 0.18 है0 तथा सर्वे क0 228 रकवा 0.18 है0 सर्वे क0 254 रकवा 0.38 है0 तथा सर्वे क0 256 रकवा 1.00 है0 भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से गंगाबाई, अम्बाराम तथा गोरधनलाल से क्रय की अतः उसके आधार पर उसके नाम पर भूमियों को नामांतरण किया जाय। इस पर नायब तहसीलदार न्यायालय में आवेदक शिवनारायण, शंभूलाल तथा अनावेदक गोरधनलाल, अम्बालाल ने दिनांक 30–06–2011 को आपत्ति की, कि अनावेदक ने विचाराधीन भूमि के विक्रय के एवज में जो चेक दिया था उसे जब बैंक में लगाया तो उसके खाते में केवल 4600/– ही जमा होने से रूपये प्राप्त नहीं हो सके एवं बाद में भी उसके द्वारा मांगे जाने पर भी पैसे नहीं दिये । विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण कराना चाहता है । जबकि बिना प्रतिफल के विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, इसलिये विचाराधीन भूमि ग्राम पलेवना स्थित सर्वे क0 254 रकवा 0.38 है0 सर्वे क0 256 रकवा 1.00 है0 तथा सर्वे कं0 228 रकवा 0.18 है0 भूमि पर विपक्षी का नामांतरण नहीं किया जाय । नायब तहसीलदार न्यायालय द्वारा दिनांक 03–04–2012 को आवेदक की आपत्ति निरस्त कर दी । उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी की गयी ।

3– आवेदक अभिभाषक द्वारा यह तर्क दिया कि उसने नायब तहसीलदार न्यायालय में यह आपत्ति प्रस्तुत की थी कि विक्रय पत्र के एवज में अनावेदक क्रमांक –1 द्वारा जो राशि 6,50,000/– देना था । वह उसे प्राप्त नहीं हुई बिना प्रतिफल के विक्रय पत्र पूर्ण नहीं होता । अनावेदक क्रमांक –1 द्वारा दिया गया चैक वाउन्स हो गया है, फिर भी नायब तहसीलदार ने उसकी आपत्ति निरस्त कर दी एवं प्रकरण अनावेदक के कथन हेतु नियत कर दिया ।

4– अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहे । इसलिये उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी । अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण का अवलोकन किया गया । इससे स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक –1 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर विचाराधीन भूमियों पर उसके नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । जिस पर आवेदक शिवनारायण, शंभूलाल तथा अनावेदक गोरधनलाल एवं अम्बालाल द्वारा आपत्ति प्रस्तुत

उन्हें विकय की गई भूमि का प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिये नामांतरण नहीं किया जाय । चैक वाउन्स होने के कारण उनके द्वारा धारा– 138 निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट के अंतर्गत न्यायालय ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मंदसौर के न्यायालय में एक वाद भी दायर किया है । अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में अनावेदक गोरधनलाल गंगाबाई का शपथ पत्र दिनांक 15–11–2011 संलग्न है जिसमें यह बताया कि उनको अनावेदक भुवानीराम से भूमि विकय की समस्त राशि प्राप्त हो गई है । तथा उसका कब्जा भी केता को सौंप दिया है और उसके नामांतरण में कोई आपत्ति नहीं है । गोरधनलाल, अम्बालाल तथा उसकी माता गंगाबाई ने अनावेदक कमांक–1 के पक्ष में नामांतरण हेतु अपना सहमति पत्र भी प्रस्तुत कर दिया । नायब तहसीलदार ने दिनांक 03–04–2012 को आवेदक की आपत्ति इस आधार पर निरस्त की कि बार–बार आपत्ति प्रस्तुत की जा रही है और प्रकरण साक्ष्य के लिये नियत कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण साक्ष्य के लिये नियत है । आवेदक द्वारा यह भी बताया गया है कि भूमि विकय का प्रतिफल उसे प्राप्त नहीं हुआ है । जिसके लिये उसे द्वारा चैक वाउन्स के संबंध में न्यायालय में दावा दायर किया है । न्यायालय में क्या कार्यवाही अभी तक हुई है यह नहीं बता पाया । आवेदक को अधीनस्थ न्यायालय में इस संबंध में अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध है, अतः इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप का औचित्य प्रकट नहीं होता, अतः निगरानी निरस्त की जाती तथा अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्ष को नामांतरण के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर गुणदोषों के आधार पर प्रकरण का निराकरण करें ।

(डॉ0 मधु खरे)
राजस्व मण्डल मधप्रदेश
ग्वालियर ।